संख्या-755/2026/1983/22-2-2025-17(1818)/2022

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 15 जून, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अम्बर लाल लोनिया पुत्र श्री जगन्नाथ, निवासी जनपद-उन्नाव की स्थायी नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-35825/प्रो0(6)/256/(शिक्षक दिवस-25), दिनांक 12.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अम्बर लाल लोनिया पुत्र श्री जगन्नाथ, जो सम्भर खेड़ा मजरे देवारा कलाँ, थाना-गंगाघाट, जनपद-उन्नाव का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक-11.10.2002 को बहला फुसला कर और बहाना बनाकर 11 वर्षीय बच्ची कुमारी सोनी के साथ पाशविक बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या करने का जघन्य एवं शर्मशार करने वाला अपराध किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-05/2003 में भा0द0वि0 की धारा-363, 376(2)(एफ), 302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश/ई0सी0 एक्ट, उन्नाव के आदेश दिनांक 31.05.2004 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के आदेश दिनांक 23-02-2005 द्वारा निर्णीत करते हुये मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07.08.2025 तक अपरिहार 22 वर्ष, 09 माह, 23 दिन एवं सपरिहार 28 वर्ष, 06 माह, 16 दिन की सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा उल्लिखित किया गया है कि बन्दी द्वारा 11 वर्षीय बच्ची के साथ पाशविक बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या करने का जघन्य, घृणित व शर्मशार करने वाला अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज मे न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। अतएव बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के दृष्टिगत समिति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 161 के अन्तर्गत निर्धारित स्थायी नीति विषयक शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018. दिनाक 01 अगस्त, 2018 एवं यथासशोधित शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28 जुलाई 2021, संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी/2018 दिनांक- 27.05.2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अम्बर लाल लोनिया पुत्र श्री जगन्नाथ की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अम्बर लाल लोनिया (बंदी संख्या-17632) पुत्र श्री जगन्नाथ, निवासी जनपद-उन्नाव की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत स्थायी नीति के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-755/2026/1983(1)/22-2-2025 तद्दिनांक..

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव।

2- पुलिस अधीक्षक, उन्नाव।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक,जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) सं0-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन(क्रिमि0) सं0-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।